इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 10, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. ई.-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी., आयएएस., कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 16 नवम्बर 2017 से 14 मई 2018 तक, एक सौ अस्सी दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 6 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक, चालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का प्रभार श्री राकेश सिंह, भाप्रसे, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का प्रभार श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश सिंह, भाप्रसे एवं श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. ई.-5-772-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 23 से 31 अक्टूबर 2017 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-947-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-927-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-961-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 6 से 20 नवम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस., उपसचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिनांक 22 से 28 अक्टूबर 2017 तक प्रतिनिधि मंडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश प्रवास के अनुक्रम में दिनांक 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 1 से 19 जनवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 20, 21 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री आशीष कुमार, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा कलेक्टर, दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष कुमार कलेक्टर, दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमर सिंह बघेल, अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-859-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएएस., उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 30 दिसम्बर 2017 से 10 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-917-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, आयएएस, आयुक्त, नगरपालिका निगम, रीवा को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 मार्च 2017 के स्थानीय अवकाश तथा दिनांक 18, 19 नवम्बर एवं 02, 03 दिसम्बर 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, नगरपालिका निगम, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1002-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस., संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25, दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. एफ-6-34-2015-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, प्रो. एस. पी. गौतम, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 316(1) के अन्तर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, अपने कार्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. एफ-1(सी)-26-2016-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 तथा समय-समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के लंबित ऑडिट आक्षेपों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा (3) एवं (4) के अनुसार इस पर आगामी कार्यवाही करने के बारे में निर्णय लेने हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(सी)1-2006-ई-चार, दिनांक 5 मई 2006 अनुसार गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है:—

(1)	संभागायुक्त	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त आयुक्त (विकास)	सदस्य
(3)	संयुक्त संचालक, नगरीय एवं पर्यावरण विकास	सदस्य
(4)	संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय, मण्डी बोर्ड.	सदस्य
(5)	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा.	सदस्य-सचिव.

2. उपर्युक्त समिति मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 उपधारा (3) एवं (4) के परिप्रेक्ष्य में राजस्व संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद्, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, कृषि उपज मण्डी समिति एवं विकास प्राधिकरण आदि के लंबित आडिट आक्षेपों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में आक्षेपों का प्रत्याहरण करने अथवा आगामी कार्यवाही करने के बारे में संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को उपयुक्त परामर्श देगी और ऑडिट आक्षेप की प्रवृत्ति अनुसार कार्यवाही की संभावित समय-सीमा भी तय करेगी.

3. समिति की बैठक यथा संभव प्रत्येक 02 माह में आयोजित की जाये, लेकिन अपरिहार्य कारणवश बैठक संभव नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक त्रैमास में 01 बैठक अवश्य ही आयोजित की जाये.

क्र. एफ-1(सी)-26-2016-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 तथा समय-समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा की ग्राम पंचायत, तहसील/विकासखण्ड स्तर की रोगी कल्याण समिति एवं जिले में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की लंबित आडिट आपत्तियों पर इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) एवं (4) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकाय प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में आपत्तियों का प्रत्याहरण करने संबंधी उप संचालक, क्षेत्रीय, कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा को उपयुक्त परामर्श देने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में इस विभाग के आदेश क्रमांक 935-638-12-ई-चार, दिनांक 28 मार्च, 2012 अनुसार गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है:—

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
(3)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
(4)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य
(5)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(6)	उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा.	सदस्य-सचिव.

2. उपर्युक्त समिति जिले के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर की रोगी कल्याण समिति तथा शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा संपरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं करने पर इनकी समीक्षा करेगी एवं मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 की उपधारा (3) एवं (4) के परिप्रेक्ष्य में इनके मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध आगामी कार्यवाही प्रस्तावित करने का परामर्श उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा को देगी.

3. समिति की बैठक अधिकतम तीन मास के अंतराल में आयोजित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरूद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1(बी) 111-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04	सुश्री सोनाली गुप्ता, वार्ड क्र. 05, गुप्ता मोहल्ला, शहपुरा, थाना शहपुरा, जिला डिण्डोरी म. प्र. 481990.	शहडोल
2	05	श्री पूनम यादव, म. नं. 101, महालक्ष्मी ऑयल मील के सामने, पुनासा रोड, सतवास जिला देवास म. प्र. 455459.	खण्डवा

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) इस नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 21537/2015 द्वारा श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2 मई 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा चयनित उप पुलिस अधीक्षकों से अभिवचन-पत्र प्राप्त किया गया है और तदाशय का अभिवचन पत्रक शासन द्वारा भी प्राप्त किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध अपील प्रकरण क्र. 347/2016 को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध एक और अपील प्रकरण क्र. 369/2016 दर्ज हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 9-8-2016 को प्रकरण की पुनः सुनवाई में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2016 के अनुसार प्रकरण खारिज किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्र. 21537/2015 श्री पीयूष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2 मई 2016 प्रभावशील है, उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका आई.ए. नं. 11249/2016 लंबित है. यह नियुक्तियां मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेंगी.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियॉ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ-1(बी) 108-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित

निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (04) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	07	सुश्री अर्चना रावत, 99, सुंदरनगर एक्स, सुखलिया, एम.आर.10; इन्दौर, म. प्र. 452010.	सागर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) इस नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 21537/2015 द्वारा श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2 मई 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा चयनित उप पुलिस अधीक्षकों से अभिवचन-पत्र प्राप्त किया गया है और तदाशय का अभिवचन पत्रक शासन द्वारा भी प्राप्त किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध अपील प्रकरण क्र. 347/2016 को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध एक और अपील प्रकरण क्र 369/2016 दर्ज हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 9 अगस्त 2016 को प्रकरण की पुनः सुनवाई में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2016 के अनुसार प्रकरण खारिज किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्र. 21537/2015 श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2 मई 2016 प्रभावशील है, उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका आई.ए. नं. 11249/2016 लंबित है. यह नियुक्तियां मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेंगी.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

फा. क्र. 5012-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ-3-62-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ-3-62-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण, में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-62-2015-बत्तीस दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November, 2017

NOTICE

No. F-3-62-2013-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Mandideep (Planning Area), 2031 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Collector, District Raisen, Madhya Pradesh
2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Bhopal, Sehore, Raisen, Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Mandideep, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2017

अधि. क्र. भ.स.क.म.म.-7725.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-8168, दिनांक 21 अगस्त 2015, भाग-4 (ग) द्वारा "पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना" लागू की गई थी, यह योजना एतद्द्वारा (राजपत्र प्रकाशन तिथि से) समाप्त घोषित की जाती है.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्र. 8373-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-14-2010-1-10, दिनांक 26 अगस्त 2017 द्वारा श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर, संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने दिनांक 12 सितम्बर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अत: श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) सदस्य संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर संभाग, इन्दौर को बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिलों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संशोधित आदेश

क्र. 8375-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 4065-एनआर-14-लोकपाल-3-2017, भोपाल दिनांक 23 जून 2017 द्वारा श्री डॉ. नवीन कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर) सदस्य संभागीय सतर्कता समिति रीवा संभाग, रीवा को शहडोल एवं अनूपपुर जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. नवीन कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर) लोकपाल को शहडोल एवं अनूपपुर के साथ जिला सतना लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. 8383-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3 (9)2007-1-10, दिनांक 22 सितम्बर 2017 द्वारा श्री अरूण प्रकाश सक्सेना (सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. श्री अरूण प्रकाश सक्सेना ने दिनांक 28 सितम्बर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अत: श्री अरूण प्रकाश सक्सेना, (सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश), सदस्य संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को ग्वालियर, दतिया, श्योपुर जिलों के लिये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संशोधित आदेश

क्र. 8385-एनआर-14-लोकपाल-3-2017.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 8374-एनआर-14-लोकपाल-3-2015, भोपाल दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा श्रीमती रीना चौकसे, सामाजिक महिला कार्यकर्ता को सागर संभाग सागर में छतरपुर जिले का मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती रीना चौकसे, को जिला छतरपुर के साथ टीकमगढ़ एवं पन्ना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 1593.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम-प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय-लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय-सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय-सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उतीर्ण घोषित किया जाता है :—

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
	भोपाल संभाग		
1	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	प्रथम-प्रक्रिया
2	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
3	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय-लेखा
4	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
5	श्री बृजेश कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय-सामान्य विधि
6	श्री राकेश कुमार गोनेकर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
	इन्दौर संभाग		
7	श्री दिनेश कुमार मौर्य	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
	जबलपुर संभाग		
8	श्री पावर सिंह डोंडवें	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
9	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	द्वितीय-लेखा
10	श्री रामजी शरण शर्मा	वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु	तृतीय-सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

1	श्री सचिन सयदे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
2	श्री नवीन गर्ग	भा. व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री हीरालाल सनोडिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
4	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
5	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
6	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
7	श्री पुनीत गोयल	भा. व. से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि
8	श्री नवीन गर्ग	भा. व. से. प्रशिक्षु	द्वितीय-सामान्य विधि
9	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
10	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
11	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
12	श्री पुनीत गोयल	भा. व. से. प्रशिक्षु	द्वितीय-सामान्य विधि
13	श्री नवीन गर्ग	भा. व. से. प्रशिक्षु	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री संदेश महेश्वरी	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
15	श्री कैलाश चन्द्र अहीर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
16	श्री पुनीत गोयल	भा. व. से. प्रशिक्षु	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
		ग्वालियर संभाग	
17	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
18	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
19	श्री एम. एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
20	सुश्री सुमन खरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
21	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
22	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
23	श्री एम. एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
24	श्री भुवनेश कुमार योगी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
25	श्री राजवेन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-सामान्य विधि
26	श्री देवानन्द पाण्डे	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-सामान्य विधि
27	श्री एम. एस. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-सामान्य विधि
28	श्री तेजसिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-सामान्य विधि
		इन्दौर संभाग	
29	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
30	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
31	श्री अरविंद चौहान	वनक्षेत्रपाल	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
		जबलपुर संभाग	
32	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा. व. से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि
33	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम वन विधि
34	श्री मार्तण्ड सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
35	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
36	श्री मयंक चांढीवाल	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि
37	श्री प्रमोद सिंह	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
38	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा. व. से. प्रशिक्षु	द्वितीय-सामान्य विधि
39	श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
40	श्री शरद सिंह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
41	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
42	श्री एम. आर उइके	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
43	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
44	श्री मयंक चांढीवाल	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
45	श्री जरांडे ईश्वर रामहरी	भा. व. से. प्रशिक्षु	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
46	श्री पप्पू सिंह बास्केल	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
47	श्री विद्याभूषण मिश्रा	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
48	श्री मयंक चांढीवाल	सहायक वन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास).

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

शीतकालीन अवकाश बावत्

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. सह-अधि.-स्था.-2017-2861.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम, 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 1198-भू-अर्जन-री-1-16-17 झाबुआ, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को **ग्राम सागड़िया**, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू–अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	सागड़िया/26	542/2	0.038
2				517/5	0.045
				कुल योग :–	**0.083**

क्रमांक 1200-भू-अर्जन-री-1-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.– 30 सन् 2013 की धारा–19(1) के अंतर्गत)

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

1– भूमि का वर्णन क–जिला झाबुआ ख–तहसील पेटलावद

ग–ग्राम खाखरापाड़ा घ–लगभग क्षैत्रफल 0.66हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमार्क
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धुलिया पिता रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी	133/4	0.020	0.020		0.020	
2	रमेश पिता रणछोड पुनीबाई पति स्व0 रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी	133/5	0.020	0.020		0.020	
3	जालु, बालु, भीलजी, बद्री, सुगना पिता प्रभु मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141	0.180	0.040		0.040	
4	मन्ना सुकला पिता लाला गगंली बेवा लाला मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142	0.290	0.040		0.040	
5	मावजी दित्यापिता तेल्या मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी गवरीबेवा तेल्या जाति मोरी भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	143	0.330	0.040		0.040	

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	टिप्पणी
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	नारजी पिता वेलजी जाति भील पता नि0ग्राम भूमि स्वामी	144	0.260	0.020		0.020	
		294	0.110	0.010		0.010	
		296	0.450	0.030		0.030	
		298	0.810	0.070		0.070	
7	जबरिया पिता हमीरा, नानजी, वरसिंग, दित्या, मीरा, भूरी पिता कवरिया, चम्पा पति स्व. कवरिया मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	293	1.370	0.110		0.110	
		304	0.320		0.050	0.050	
8	देवला पुत्र वेलजी जाति निनामा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	295	0.110	0.060		0.060	
		303	0.440		0.140	0.140	
9	वरसिंग पिता नग्गा मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	300	0.660	0.010		0.010	
	योग :–	**14**	**5.370**	**0.470**	**0.190**	**0.660**	

2– सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :– माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3– नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नही किया जा रहा है।

4– भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं–1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक 1293-भू-अर्जन-री-1-16-17 झाबुआ, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.– 30 सन् 2013 की धारा–19(1) के अंतर्गत)

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

1– भूमि का वर्णन क–जिला झाबुआ ख–तहसील पेटलावद
ग–ग्राम करनगढ़ घ–लगभग क्षेत्रफल 0.81हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमार्क
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	460	0.080		0.080	0.080	
2	भोंदरिया ,जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	502	0.670	0.130		0.130	
3	मँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	469	0.160	0.040		0.040	
4	देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/2	0.030		0.030	0.030	
		471/2	0.040		0.040	0.040	
5	थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/1	0.030	0.030		0.030	
		471/1	0.050	0.050		0.050	
6	भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	470/3	0.040	0.030		0.030	
		471/3	0.040	0.040		0.040	

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमार्क
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	461	0.030	0.030		0.030	
		462	0.020	0.020		0.020	
		464	0.120		0.030	0.030	
		467	0.250	0.030		0.030	
8	सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	463	0.110	0.090		0.090	
		465	0.100	0.030		0.030	
		466	0.120		0.030	0.030	
9	धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	329	0.060	0.050		0.050	
10	राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ	472/1	0.060	0.030		0.030	
	योग :–	**18**	**2.010**	**0.600**	**0.210**	**0.810**	

2– सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :– माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3– नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नही किया जा रहा है।

4– भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं–1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

क्रमांक 20-2017-एलए-14940-रा.प्र.क्र. अ-82-2016-17 भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म0प्र0शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12.2.2014/सात/ए दिनांक 12.112014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की ''आपसी सहमति से भूमि कय नीति'' जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकम जल संसाधान विभाग खण्डवा को नावली तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम सहेजला के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका .10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा प0ह0नं0 17 ग्राम सहेजला राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन कुल रकबा 1.14 हैक्टर

क	भू धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हैक्टर में	प्रभावित रकबा हैक्टर में	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	अन्य सपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1	सुगनाबाई पति दातारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सहेजला	59/ 1	0.31	0.31	0.31	0	निरक
		64	0.28	0.28	0	0.28	निरक
	योग		0.59	0.59	0.31	0.28	
2	रमेश पिता दगडू निवासी ग्राम सहेजला	383 /1	0.23	0.18	0.18	0	निरक
3	रूकमणीबाई पति रमेश निवासी ग्राम सहेजला	383 /2	0.27	0.12	0.12	0	एक कुआ
4	छोटेलाल पिता दगडू निवासी ग्राम सहेजला	72/1	0.25	0.25	0	0.25	निरक
	महायोग	0	1.34	1.14	0.61	0.53	

अभिषेक सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 17989 /भू–अर्जन/2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ–82/2016–2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में **मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना** तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम **सुरजपुरा** के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि **मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना** का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

–: अनुसूची (1) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम सुरजपुरा

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुरजपुरा	48.422	19.966
	कुलयोग :–	48.422	19.966

–: अनुसूची (2) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम सुरजपुरा

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	शिवलाल पिता नन्दराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	21 में से 35/3	1.000 4.085	1.000 1.200
	योग	**2**	**5.085**	**2.200**
2	इन्दरसिंह, विक्रमसिंह पिता केदारसिंह उर्फ गोपालसिंह मु. राममूर्तिबाई बेवा केदारसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	34/2/1	0.695	0.300
	योग	**1**	**0.695**	**0.300**
3	सोलाल, श्यामसिंह हरबगस पिता बापूलाल, पार्वतीबाई विधवा बापूलाल जाति भड़क्या नि.ग्राम भू–स्वामी	42	1.202	1.202
	योग	**1**	**1.202**	**1.202**
4	सेतानबाई पिता बापूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू–स्वामी	83/1	0.100	0.100
	योग	**1**	**0.100**	**0.100**
5	काशीराम पिता गोदड़ जाति चमार नि.ग्राम मोहनपुरा	83/2	0.292	0.292
	योग	**1**	**0.292**	**0.292**
6	प्रभू पिता राधाकिशन जाति चमार नि. ग्राम मोहनपुरा	90/1 में से	1.138	0.600
	योग	**1**	**1.138**	**0.600**
7	बालाबगस पिता मेहताब जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा	90/2 में से	2.529	0.450
	योग	**1**	**2.529**	**0.450**

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
8	शिवचरण, मंयाराम, चन्दरबाई, रमा, सुनीता पिता धूलजी सर. माता सौरमबाई विधवा धूलजी, जातिगुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा.	90/3 में से	1.884	1.450
	योग	**1**	**1.884**	**1.450**
9	रामचरण पिता हरचन्द जाति गुर्जर नि.ग्राम सुन्दरहेड़ा	109/1	1.000	0.300
	योग	**1**	**1.000**	**0.300**
10	प्रेमनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	109/2	1.446	0.050
	योग	**1**	**1.446**	**0.050**
11	मनोहर पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	114/3 में से	0.890	0.890
	योग	**1**	**0.890**	**0.890**
12	भरतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	114/2 में से	1.483	0.890
	योग	**1**	**1.483**	**0.890**
13	बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	120/2	1.265	0.800
		116/9/4	1.770	0.770
		116/7/3	0.506	0.506
	योग	**3**	**3.541**	**2.076**
14	कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	116/9/2	1.265	0.700
		116/9/3	1.770	1.600
		116/7/1	1.770	1.170
	योग	**3**	**4.805**	**3.470**
15	माधु, शिवलाल, नरानीबाई पिता रोड़ा पारीबाई बेवा रोड़ा जाति चमार नि.ग्राम भू–स्वामी	118/1	3.984	0.030
	योग	**1**	**3.984**	**0.030**
16	पूरालाल पिता रतीराम जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	119/2	1.518	0.100
	योग	**1**	**1.518**	**0.100**
17	प्रभू पिता ईशर जाति चमार नि.ग्राम खजूरिया	120/1	4.806	0.030
	योग	**1**	**4.806**	**0.030**
18	भंवर जी पिता गोपाल जाति भील नि.ग्राम भू–स्वामी	121/2	3.794	1.000
	योग	**1**	**3.794**	**1.000**
19	देवा पिता भेरू जाति भील नि.ग्राम भू–स्वामी	121/4	2.528	0.450
	योग	**1**	**2.528**	**0.450**
20	कन्हैयालाल पिता श्यामलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	122/2	0.808	0.400
	योग	**1**	**0.808**	**0.400**

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
21	गुलाबबाई पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पिपलहेला	116/7/2	0.253	0.210
	योग	**1**	**0.253**	**0.210**
22	शिवनारायण, अशोक कुमार पिता इंदरसिंह, शांतिबाई बेवा इंदरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	34/3/1	0.126	0.126
	योग	**1**	**0.126**	**0.126**
23	दौलतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	34/3/2	1.391	1.391
	योग	**1**	**1.391**	**1.391**
24	जसवंतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू–स्वामी	34/3/3	0.759	0.759
	योग	**1**	**0.759**	**0.759**
25	अमानसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम जड़किया	2/3/1	2.365	1.200
	योग	**1**	**2.365**	**1.200**
	कुलयोग ;–	**30**	**48.422**	**19.966**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.–17990

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में आमलाबे जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ आमलाबे जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम –लसुल्डीया,मोहली,आमलाबे		तहसील – जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
1	लसुल्डीया,	4.938	
2	मोहली,	12.846	
3	आमलाबे	37.613	
	योग	55.397	

अनुसूची (2)

(1)आमलाबे जलाशय में ग्राम लसुल्डीया की भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	प्रभावित कृष्क का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कनीराम ,रमेश आ.शिवलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भे.स्वीमी	452/1/2	1.619	1.000
	योग	1	**1.619**	**1.000**
2	देवा पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/5/1	0.809	0.809
	योग	2	**0.809**	**0.809**
3	माधु पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/5/2	0.810	0.810
	योग	1	**0.810**	**0.810**
4	दरियावबाई पति देवा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/6/1	0.809	0.809
	योग	1	**0.809**	**0.809**
5	जमुनाबाई पति माधु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी	452/1/6/2	0.810	0.810
	योग	1	**0.810**	**0.310**
6	रामलाल पिता कचरू जाति सौंध्या नि.ग्रा.भू स्वामी	452/20	0.700	0.700
	योग	1	**0.700**	**0.700**
	कुल योग	**7**	**5.557**	**4.938**

(2)आमलाबे जलाशय में ग्राम मोहली की भूमि प्रभावित होने से

7	भंवरलाल पिता मांगीलाल रामलाल पिता कान्हा, पारीबाई बेवा कान्हा जाति अजा. नि. ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/13	2.808	1.000
	योग	1	**2.808**	**1.000**
8	बापुलाल,ओंकार पिता गल्ला जाति अ.जा. नि.ग्रा.आमलाबे भूस्वामी	226/10/1	1.449	0.600
	योग	1	**1.449**	**0.600**
9	गब्बा पिता नाथु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/10/2	1.449	0.600
	योग	1	**1.449**	**0.600**
10	कंवरलाल पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/9/3	0.856	0.856
	योग	1	**0.856**	**0.856**

11	बरदा पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/9/2	0.855	0.350
	योग	1	**0.855**	**0.350**
12	बालु पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/8/1	0.803	0.803
	योग	1	**0.803**	**0.803**
13	कांताबाई पति गोरधनलाल जाति तेली नि. ग्रा. भूस्वामी	226/8/3	0.350	0.200
	योग	1	**0.350**	**0.200**
14	गंगाबाई पति मोहनलाल जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	226/7	2.395	1.000
		226/5/1	1.424	0.300
	योग	2	**3.819**	**1.300**
15	एकताबाई पति हरिओम जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	226/5/2/3	0.475	0.230
	योग	1	**0.475**	**0.230**
17	परथीसिंह पिता घीसालाल जाति सौध्या नि. ग्रा. मीनागांव भूस्वामी	229/1	0.481	0.481
	योग	1	**0.481**	**0.481**
16	कमलसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. मीनागांव भूस्वामी	229/2	0.474	0.474
	योग	1	**0.474**	**0.474**
18	नारायणसिंह पिता भंवरजी जाति गुर्जर नि. ग्रा. झरनी भूस्वामी	227/232	0.129	0.129
		228	1.214	1.214
		229/233	0.162	0.162
		230	0.081	0.081
		230/234	0.466	0.466
	योग	5	**2.052**	**2.052**
18	मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/6/1	0.684	0.684
		227/1/1	0.550	0.550
		227/2	0.316	0.316
	योग	**3**	**1.550**	**1.550**
19	बापुलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी	226/6/2	1.000	1.000
		227/1/2	0.550	0.550
	योग	**2**	**1.550**	**1.550**
20	संगीताबाई पति गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी	190/9/1	0.506	0.200
	योग	**1**	**0.506**	**0.200**
21	राजीबाई पिता पुरसिंह जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी	190/9/2	0.506	0.200
	योग	**1**	**0.506**	**0.200**

22	राजेश्वरी पिता गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी	190/9/3	0.506	0.200
	योग	**1**	**0.506**	**0.200**
23	बबीताबाई पिता गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी	190/9/4	0.506	0.200
	योग	**1**	**0.506**	**0.200**
कुल योग		**26.00**	**21.00**	**12.846**
(3)आमलाबे जलाशय में ग्राम आमलाबे की भूमि प्रभावित होने से				
24	हेमराज पिता रामलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा. भेस्वामी	2/1/1	0.303	0.303
		3/1/2/1	0.456	0.456
	योग	**2**	**0.759**	**0.759**
25	मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	3/1/2/2	0.253	0.253
	योग	**1**	**0.253**	**0.253**
26	अल्लाहबक्श पिता सुबान खॉ जाति पिंजारा नि.ग्रा. भेस्वामी	3/1/1	0.506	0.340
		7/1/2	0.756	0.756
		8/2/2	0.486	0.486
		10/2/2	0.101	0.101
	योग	**4**	**1.849**	**1.683**
27	कचंनबाई बेवा मांगीलाल, बीरमसिंह जगदीश,जसवंतसिंह, कालीबाई पिता मांगीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	4/2/1	1.023	1.023
	योग	**1**	**1.023**	**1.023**
28	रामकलाबाई पति भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	4/2/2	1.000	1.000
		4/3/2	1.000	1.000
		4/4/1	1.023	1.023
		4/4/2	1.000	1.000
		4/9/1	1.023	1.023
		6/3/2	1.000	1.000
		6/4/2	1.000	1.000
		6/5/2	1.000	1.000
		9/8	1.500	1.500
	योग	**9**	**9.546**	**9.546**

29	शोभाबाई पति प्रवीणकुमार जाति सौंध्या नि.ग्रा. कोडक्या भूस्वामी	4/3/1	1.023	1.023
		4/6/2	1.000	1.000
		4/8/1	1.023	1.023
		4/8/2	1.000	1.000
		4/9/2	1.000	1.000
	योग	**5**	**5.046**	**5.046**
30	प्रवीणकुमार पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	4/7/2	1.000	1.000
		6/2/1	1.023	1.023
	योग	**2**	**2.023**	**2.023**
31	जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी	6/2/2	1.000	1.000
	योग	**1**	**1.000**	**1.000**
32	रोडजी पिता माधु जाति गायरी नि.ग्रा. भूस्वामी	6/6/1	1.012	0.500
	योग	**1**	**1.012**	**0.500**
33	रामलाल पिता किशन जाति गायरी नि.ग्रा. भूस्वामी	6/6/2	1.011	0.500
	योग	**1**	**1.011**	**0.500**
34	अलीहुसेन ,रहीसखॉ पिता कादरखॉ सादराबाई विधवा कादरखॉ जाति पिंजारा नि.ग्रा. कोडक्या भूस्वामी	7/1/1	0.756	0.756
		8/2/1	0.485	0.485
		10/2/1	0.101	0.101
	योग	**3**	**1.342**	**1.342**
35	मोहम्मद आत्मज चांदखॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी	7/2/1	0.755	0.755
		8/1/1	0.486	0.486
		10/1/1	0.091	0.091
	योग	**3**	**1.332**	**1.332**
36	कंवरलाल पिता चांदुखॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी	7/2/2	0.756	0.756
		8/1/2	0.485	0.485
		10/1/2	0.091	0.091
	योग	**3**	**1.332**	**1.332**
37	बाबु खॉ पिता कदीम खॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी	9/3	1.500	0.500
	योग	**1**	**1.500**	**0.500**

38	कमलसिंह पिता भवाना, रेशमबाई,दरियावबाई,जडावबाई ललताबाई, पिता भवाना जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/4	2.000	0.500
	योग	**1**	**2.000**	**0.500**
39	रोडजी, रामचन्द्र रोडीबाई,नानीबाई, पिता अमरसिंह बदनबाई बेवा अमरसिंह जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/5	1.000	0.500
	योग	**1**	**1.000**	**0.500**
40	कालु पिता दुंधा जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी	9/6	1.000	0.500
	योग	**1**	**1.000**	**0.500**
41	शिवसिंह पिता माधुसिंह रेशमबाई,लीलाबाई,प्रेमबाई पुत्री माधुसिंह भंवरीबाई बैवा माधुसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	9/7	1.500	1.000
	योग	**1**	**1.500**	**1.000**
42	देवीलाल पिता रामा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	9/1/4	1.500	0.379
	योग	**1**	**1.500**	**0.379**
43	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	9/1/5	1.070	0.379
	योग	**1**	**1.070**	**0.379**
44	शिवलाल पिता पुरा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	9/1/2	2.000	0.379
	योग	**1**	**2.000**	**0.379**
45	रमेश पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	9/12/1, 11/1	1.349	0.800
	योग	**1**	**1.349**	**0.800**
46	अमरसिंह पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	9/12/2, 11/2	1.350	0.800
	योग	**1**	**1.350**	**0.800**
47	रामकरण,बंशीलाल दिनेश,राकेश पिता माधु नन्दुबाई बेवा माधु जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी	9/12/3,11/3	1.350	0.800
	योग	**1**	**1.350**	**0.800**

48	रूघनाथ , नारायण, रतन पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/1	0.011	0.011
		12/7	0.010	0.010
	योग	**2**	**0.021**	**0.021**
49	रतन पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/2	0.822	0.822
		12/8	0.250	0.250
	योग	**2**	**1.072**	**1.072**
50	नारायण पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/3	0.822	0.822
		12/6	0.250	0.250
	योग	**2**	**1.072**	**1.072**
51	राधेश्याम पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/4/1	0.447	0.447
		12/5/2	0.125	0.125
	योग	**2**	**0.572**	**0.572**
52	करणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	13/1	1.000	1.000
	योग	**1**	**1.000**	**1.000**
53	करणसिंह पिता कनीराम जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	9/9	1.000	0.500
	योग	**1**	**1.000**	**0.500**
54	कंचनबाई पति नारायण जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी	12/4/2	0.250	0.250
	योग	**1**	**0.250**	**0.250**
55	कंमलाबाई पति रतनलाल जाति अ.जा. नि. ग्रा. भूस्वामी	12/4/3	0.125	0.125
		12/5/1	0.125	0.125
	योग	**2**	**0.250**	**0.250**
कुल योग		**60.00**	**48.38**	**37.61**
महायोग		**93**	**74.936**	**55.397**

नोट :– भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्र. 77-अ-82-2016-17 राजगढ़, दिनांक 6 नवम्बर 2017

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम अभयपुर के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम अभयपुर

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	गोरधन पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	1/1/1	1.084	0.679
	योग	**1**	**1.084**	**0.679**
2	मोड़सिंह पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	1/1/2	1.084	0.329
	योग	**1**	**1.084**	**0.329**
3	धूलजी पिता देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	1/1/5	1.000	0.852
	योग	**1**	**1.000**	**0.852**
4	बीरम पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू–स्वामी	1/206/1	0.153	0.153
	योग	**1**	**0.153**	**0.153**
5	रामबाबू पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू–स्वामी	1/206/2	0.153	0.153
	योग	**1**	**0.153**	**0.153**
6	केशसिंह पुत्री गंगाराम, हि.1/4 रूगनाथ, करणसिंह, राधाकिशन, छोटेलाल, मनीराम, मांगीबाई, प्रेमबाई पिता बलराम हि.1/4 धूलजी, देवीराम, मोड़सिंह, गोरधन पिता कालू, हि.1/2 जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	44 154	0.316 0.228	0.316 0.228
	योग	**2**	**0.544**	**0.544**
7	भंवरलाल पिता रामसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	112	1.240	1.240
	योग	**1**	**1.240**	**1.240**
8	रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	9/1	1.350	0.600
	योग	**1**	**1.350**	**0.600**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
9	कंवरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	9/2	1.350	1.100
		52	0.164	0.164
	योग	**2**	**1.514**	**1.264**
10	चेनसिंह पिता हजारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	9/3	1.350	1.350
	योग	**1**	**1.350**	**1.350**
11	रामरतन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	9/4	1.350	1.250
	योग	**1**	**1.350**	**1.250**
12	मोड़सिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	9/5	1.352	1.250
	योग	**1**	**1.352**	**1.250**
13	नारानदत्त पिता हरीदत्त जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू–स्वामी	9/207	0.316	0.150
		80/209	0.177	0.177
		137	0.278	0.278
		118/2	1.137	1.137
	योग	**4**	**1.908**	**1.742**
14	बापूलाल पिता मानसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	11/2	2.000	1.300
	योग	**1**	**2.000**	**1.300**
15	बद्रीलाल पिता मथुरालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलहेला	108/3	2.000	2.000
	योग	**1**	**2.000**	**2.000**
16	पारीबाई पति जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	27/3	0.265	0.100
	योग	**1**	**0.265**	**0.100**
17	जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	27/4	0.367	0.367
	योग	**1**	**0.367**	**0.367**
18	लालसिंह, ग्यारसीबाई पिता भंवरलाल, भागचन्द, मनीराम, घीसीबाई पिता अमरा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	133/203	0.025	0.025
		134/1	0.335	0.335
		148	0.695	0.625
		133	0.404	0.404
		133/205	0.038	0.038
	योग	**5**	**1.497**	**1.427**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
19	ग्यारसीराम, बजेसिंह, भंवरीबाई, नारानीबाई, लीलाबाई पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	27/2	1.396	0.922
		134/2	0.335	0.335
		142/2	0.885	0.330
	योग	**3**	**2.616**	**1.587**
20	अमरसिंह, इन्दरसिंह ना.बा. पिता मांगीलाल सर.माता मंगीलाल सर.माता केशरबाई बेवा मांगीलाल, रामचन्दर, रामकिशन पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	47/204	0.038	0.038
	योग	**1**	**0.038**	**0.038**
21	छोटेलाल, प्रेमसिंह, करनसिंह, गोरधन पिता जगन्नाथ मु. मोत्याबाई बेवा जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	28/2	1.049	1.049
	योग	**1**	**1.049**	**1.049**
22	इंदरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	28/4	0.506	0.506
		32/2	0.358	0.358
		34/2	0.329	0.329
		40/2	0.353	0.233
		36/2	0.317	0.160
		39/2	0.147	0.080
	योग	**6**	**2.010**	**1.666**
23	मोड़सिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	28/5	0.506	0.506
		32/3	0.358	0.358
		34/3	0.329	0.329
		40/3	0.350	0.162
		36/3	0.316	0.250
		39/3	0.148	0.148
	योग	**6**	**2.007**	**1.753**
24	बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	32/1	0.359	0.359
		34/1	0.329	0.329
		36/1	0.316	0.316
		39/1	0.148	0.148
		40/1	0.353	0.128
	योग	**5**	**1.505**	**1.280**
25	जगदीश पिता गोरधन जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	43/208/1	0.260	0.260
		43/208/2	0.259	0.259
		49	0.253	0.253
	योग	**3**	**0.772**	**0.772**
26	रामकिशन दत्तक पुत्र देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	50	0.303	0.303
	योग	**1**	**0.303**	**0.303**
27	लच्छीबाई पुत्री किशना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	87	0.683	0.683
	योग	**1**	**0.683**	**0.683**
28	हरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	92/4	0.241	0.134
	योग	**1**	**0.241**	**0.134**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
29	मानसिंह पिता गोपीलाल, प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	123/1	0.026	0.026
		124/1/1	0.056	0.056
	योग	**2**	**0.082**	**0.082**
30	रामनारायण पिता गोपीलाल, प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	124/1/2	0.083	0.083
	योग	**1**	**0.083**	**0.083**
31	मांगीलाल, रामप्रसाद पिता भागचंद जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	149	0.759	0.759
	योग	**1**	**0.759**	**0.759**
32	रामचन्द्र पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	157/2	0.842	0.842
	योग	**1**	**0.842**	**0.842**
33	भागचन्द पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	157/3	0.842	0.842
	योग	**1**	**0.842**	**0.842**
34	रंगलाल पिता अमरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	157/4	0.842	0.842
	योग	**1**	**0.842**	**0.842**
35	नारायनसिंह पिता दोलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	157/6	2.000	2.000
	योग	**1**	**2.000**	**2.000**
36	मदनलाल पिता भंवरजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	188/1/1	2.795	0.500
	योग	**1**	**2.795**	**0.500**
37	नोरंगबाई पति कैलाश जाति तंवर नि.ग्राम भू–स्वामी	193/1/1	0.169	0.169
		193/1/2	1.831	1.831
		193/2	1.494	1.440
	योग	**3**	**3.494**	**3.440**
38	प्रवीणकुमार पिता सतीशचन्द्र जाति ब्रहाम्ण नि.ग्राम भू–स्वामी	194/2/2	1.518	1.518
	योग	**1**	**1.518**	**1.518**
39	परथी पिता गंगाराम जाति बंजारा नि.ग्राम भू–स्वामी	199/2/1	0.006	0.006
	योग	**1**	**0.006**	**0.006**
40	मोत्याबाई, गुलाबबाई पुत्री जयाराम, मोतीलाल, भारतसिंह पिता धूलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	199/1/1/1	1.850	0.925
	योग	**1**	**1.850**	**0.925**
41	श्यामाबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	199/1/3/1	1.000	1.000
	योग	**1**	**1.000**	**1.000**
42	आफताब हुसैन, इन्तेखाब हुसैन, तनवीर हुसैन पिता अनवर हुसैन मु. सलमा बैगम बेवा अनवर हुसैन जाति मुसलमान नि. ग्राम भू–स्वामी	200/1/2/1	1.774	0.774
	योग	**1**	**1.774**	**0.774**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
43	बिहारीलाल पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	201/1/2/1	1.500	0.500
	योग	**1**	**1.500**	**0.500**
44	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	201/1/3/1	1.500	0.500
	योग	**1**	**1.500**	**0.500**
45	मोहम्मद अली, युसुफ अली, हिना, रजिया पिता आजम अली मु. मुमताज बैगम बेवा आजम अली जाति मुसलमान नि.ग्राम भू–स्वामी	201/2/1/1	0.719	0.719
	योग	**1**	**0.719**	**0.719**
46	भारतसिंह पिता हरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	48/1	0.127	0.127
	योग	**1**	**0.127**	**0.127**
47	प्रकाश पिता हरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	48/2	0.126	0.126
	योग	**1**	**0.126**	**0.126**
48	प्रेमबाई पिता फूलसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	48/3	0.126	0.126
	योग	**1**	**0.126**	**0.126**
49	गोविन्द पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	48/4	0.127	0.127
	योग	**1**	**0.127**	**0.127**
50	चतरभुज पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	170/4	2.000	0.290
	योग	**1**	**2.000**	**0.290**
51	श्रीलाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	4	0.391	0.391
	योग	**1**	**0.391**	**0.391**
52	सचिन काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा श्रीमति अलका पति श्री प्रकाश जाति किशिचयन नि.ग्राम भू–स्वामी	108/2 24/2	2.000 1.500	0.800 1.300
	योग	**2**	**3.500**	**2.100**
53	अध्यक्ष काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा सुशील प्रसाद पिता वी.डी. प्रसाद जाति किशिचयन नि.ग्राम भू–स्वामी	26/1	1.500	1.500
	योग	**1**	**1.500**	**1.500**
54	बनवारी पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलहेला भू–स्वामी	24/3	1.500	1.500
	योग	**1**	**1.500**	**1.500**
55	श्रीमति अलकाप्रसाद पति सुशीलप्रसाद जाति किशिचयन नि.ब्यावरा भू–स्वामी	23	1.138	0.500
	योग	**1**	**1.138**	**0.500**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
56	मांगीलाल पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	33/1	0.475	0.475
		35/1	0.727	0.500
		38/1	0.531	0.168
		83/1	0.265	0.265
	योग	**4**	**1.998**	**1.408**
57	अमरा पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	35/2	0.728	0.500
		38/2	0.531	0.168
		83/2	0.265	0.265
	योग	**3**	**1.524**	**0.933**
58	कैलाश पिता अमरा, अमरा पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू–स्वामी	33/2	0.474	0.474
	योग	**1**	**0.474**	**0.474**
कुलयोग :–		**94**	**67.572**	**50.799**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

क्र. 3883–भू-अर्जन बरेली, दिनांक 8 नवम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक 14/अ–82/2015–16 /भू–अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12–2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति

तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – घाना बहेड़िया तहसील– उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घाना बहेड़िया	निर्मला बाई पत्नि शिवपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	1/2/2	2.428	0.007	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की घाना बहेड़िया माइनर नहर हेतु
2	घाना बहेड़िया	शोभाराम आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	14/1 77/1/1	1.348 0.554	0.163		
3	घाना बहेड़िया	सुषमा पत्नि राकेश, सरिता पत्नि प्रेमप्रकाश जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	13/2	2.428	0.124		
4	घाना बहेड़िया	प्रहलादसिंह आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/1	1.316	0.084		
5	घाना बहेड़िया	रमेश्चन्द आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/2	0.303	0.028		
6	घाना बहेड़िया	प्रहलाद सिंह आ. परसू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	7/1	0.894	0.004		
7	घाना बहेड़िया	सौरभ कुमार ना.वा.आ. छत्रसाल सिंह संरक्षक श्रीमति विनीता पत्नि छत्रसाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	8	3.586	0.175		
8	घाना बहेड़िया	परषोत्तम, गोपाल सिंह आ. मिहीलाल, रामेती बाई, संतोषीवाई,, गंगावाई आ. मिहीलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी	9/3	1.619	0.076		
9	घाना बहेड़िया	कमलावाई पत्नि गोविन्द सिंह जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी	10/1	1.963	0.047		
10	घाना बहेड़िया	अम्बिका प्रसाद आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	77/1/2	0.891	0.007		
11	घाना बहेड़िया	वीरन सिंह आ. कारेलाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	86/1	1.721	0.100		

12	घाना बहेड़िया	गनेश प्रसाद आ. चंदन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	86/2	0.405	0.015		
13	घाना बहेड़िया	आशाबाई पुत्री डिल्लीपत ठाकुर जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	87	3.124	0.127		
14	घाना बहेड़िया	प्रतीक आ. गनेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	88/1 88/2	1.793 1.792	0.140		
15	घाना बहेड़िया	प्रेमनारायण आ. बद्रीप्रसाद जाति श्रीवास्तव निवासी ग्राम भू स्वामी	114 113/2	1.505 0.688	0.153		
16	घाना बहेड़िया	जयवन्ती वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	113/1	0.809	0.053		
17	घाना बहेड़िया	तुलसीराम आ. अमानसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	112	4.864	0.182		
18	घाना बहेड़िया	भगवान सिंह आ. सरूपसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	111/1/1/1	0.996	0.067		
19	घाना बहेड़िया	गीता वाई पत्नि धीरज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	111/1/2	0.405	0.013		
20	घाना बहेड़िया	कोमलप्रसाद आ. शदीलाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	109/4	1.775	0.117		
21	घाना बहेड़िया	आधार सिंह आ. शिवराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	219/1	1.862	0.064		
22	घाना बहेड़िया	बलदेव सिंह आ. शिवराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	219/2 220/1/4	1.861 0.514	0.116		
23	घाना बहेड़िया	शंकर सिंह आ. परमू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	220/1/5	0.514	0.002		
24	घाना बहेड़िया	नारायण सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	222/1/1	0.737	0.033		
25	घाना बहेड़िया	चुन्नीलाल आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	222/1/2	0.736	0.090		
26	घाना बहेड़िया	भवानी सिंह आ. निर्भय सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	223/2	1.011	0.054		
27	घाना बहेड़िया	जसमन सिंह आ. निर्भय सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	223/3	1.029	0.110		
28	घाना बहेड़िया	देवीसिंह आ. हल्के कलीवाई, हल्के भैया, द्रोपती वाई, सावित्री वाई, किस्सोवाई, शीला, विनीता 1/2 पुत्री हल्के निवासी ग्राम भू स्वामी	240	2.489	0.060		

29	घाना बहेड़िया	तुलसा वाइ वेवा कोमलसिंह, कस्तूरवा, गंगावाई, भरोजी वाई पुत्रीयां कोमल सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	249/2	0.202	0.020		
30	घाना बहेड़िया	विजय सिंह आ. हरीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	241/1	0.328	0.018		

क्रमांक 3884-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 17/अ–82/2015–16 /भू–अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12–2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – केतोघान **तहसील– उदयपुरा**

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	केतोघान	हरिगोविन्द आ. तोड़ल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	126/1/1	0.648	0.060	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की केतोघान माइनर नहर हेतु
2	केतोघान	अर्जुन सिंह आ. वलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	128/1	0.571	0.081		
3	केतोघान	बैनीसिंह आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	129/1 130	1.712 1.239	0.146 0.091		
4	केतोघान	दुर्गाप्रसाद आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	129/2	1.801	0.100		
5	केतोघान	भगवत सिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/1	2.319	0.048		

6	केतोघान	प्रेमसिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/2	2.315	0.071		
7	केतोघान	हरनारायण आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	124/3	2.315	0.071		
8	केतोघान	रामप्रसाद आ. फागू जाति लोधी निवासी ग्राम भाड़ोन भू स्वामी	70	1.590	0.070		
9	केतोघान	जालम, हल्के आ. रामप्रसाद जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	69/1	0.777	0.061		
10	केतोघान	किशोरीलाल आ. बुद्वा जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	68/1	1.590	0.107		
11	केतोघान	प्रेमिया वाई वि. बुद्वा जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	68/2	0.620	0.036		
12	केतोघान	धनीराम आ. मानसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	65/1	0.886	0.128		
13	केतोघान	निरपत सिंह आ. मुल्लू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	145/1	0.568	0.070		
14	केतोघान	उमेश नारायण आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	148/1 147/1	0.809 1.785	0.100 0.146		
15	केतोघान	रामप्रसाद आ. ददू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	147/2	1.619	0.086		
16	केतोघान	कमलसिंह आ. मंगल सिंह जाति कहार निवासी ग्राम भू स्वामी	336/1	1.619	0.004		
17	केतोघान	प्रताप सिंह आ. चेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	335/2	1.427	0.053		
18	केतोघान	राकेश कुमार आ. अर्जुन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	127/2	0.471	0.012		
19	केतोघान	हरिगोविन्द आ. तोड़ल जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	126/1/1	0.648	0.060		

क्रमांक 3885-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 16/अ–82/2015–16 /भू–अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12–2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – भाड़ोन **तहसील– उदयपुरा**

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भाड़ोन	देवेन्द्र सिंह आ. मोहनसिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम छवारा भू स्वामी	6/1/5	2.287	0.173	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की केतोघान माइनर नहर हेतु
2	भाड़ोन	मल्लीवाई वि. लच्छू लेखराम नारायण, गुलाब आ. लच्छू पिता देवचंद जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	9	0.498	0.010		
3	भाड़ोन	बालगोविन्द ना.वा. आ. बली, मगंलसिंह, उमेद आ. सुखराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	8/1	0.337	0.001		
4	भाड़ोन	सूर्यप्रताप सिंह आ. रघुराजसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम छबारा भू स्वामी	6/1/4	2.286	0.036		

5	भाड़ोन	दिनेश, महेश, योगेश आ. गोवर्धनदास, सावित्री वाई वि. गोवर्धनदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	20/2	0.980	0.115		
6	भाड़ोन	राकेश कुमार आ. लेखराज जाति ब्रा. निवासी केतोघान ग्राम भू स्वामी	19/1	0.980	0.068		
7	भाड़ोन	भुवनेश्वर, रविन्द्र कुमार आ. नर्वदाप्रसाद जाति ब्रा. निवासी तिलकवाई पिपरिया जिला होशंगावाद भू स्वामी	19/2	0.473	0.038		
8	भाड़ोन	जमनावाई पत्नि नर्वदाप्रसाद जाति ब्रा. निवासी तिलकवाई पिपरिया जिला होशंगावाद भू स्वामी	20/1/1/1	3.238	0.158		
9	भाड़ोन	मून्नूलाल आ. गजराज जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	21/2 22/1/1	2.347 0.485	0.162		

क्रमांक 3886-भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 29/अ–82/2015–16 /भू–अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12–2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

ग्राम का नाम – खाड़ोन **तहसील– उदयपुरा**

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खाड़ोन	परषोत्तम आ. नर्मदा प्रसाद उर्फ दलीपसिंह जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी	9	3.257	0.117	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की खाड़ोन माइनर नहर हेतु

2	खाड़ोन	विपिन कुमार आ. दिलीप सिंह नि. भाड़ोन भू स्वामी	2/2	1.113	0.030		
3	खाड़ोन	कौशल किशोर आ. सुरेश कुमार जाति साहू नि. भाड़ोन भू स्वामी	2/1	1.112	0.029		
4	खाड़ोन	बड़ीवाई वेवा गुलावचंद सुरेश कुमार, केशरवाई गायत्री वाई आ. गुलावचंद जाति साहू निवासी भाड़ोन भू स्वामी	3	2.732	0.070		
5	खाड़ोन	बीरा आ. रामवगास जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी	4	2.739	0.093		
6	खाड़ोन	शिवराज आ. पतीराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी	5/1/2	1.394	0.009		
7	खाड़ोन	जयंत कुमार, प्रहलाद, धमेन्द्र आ. प्रेमसिंह जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी	26/1	0.809	0.046		
8	खाड़ोन	भगवानदास आ. मिट्ठू जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1	3.270	0.065		
9	खाड़ोन	कौशल आ. मिट्ठू जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी	27/2	2.084	0.186		

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 12051-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-बारहबरयारी, प.ह.नं.-13, ब. नं.-203, रा.नि.मं.-चौरई,	रकबा 29,424 हेक्टेयर निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध, उपसंभाग क्रमांक-2, सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. 12086-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-सीदप, प.ह.नं.-07, ब. नं.-283, रा.नि.मं.-चांद,	रकबा 16.740 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 4 एल, 5 एल, 6 एल नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12087-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉंद	ग्राम-मोरखा, प.ह.नं.-47, ब. नं.-237, रा.नि.मं.-चांद.	रकबा 0.165 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की 3 एल. माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12088-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हरदुआरैयत प.ह.नं.-29, ब. नं.-282, रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 08.240 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 1 एल, माइनर 3 एल सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12089-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हसनपुर, प.ह.नं.-31, ब. नं.-309, रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 02.970 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 2 एल, 3 एल सब माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12090-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-बादगांव, प.ह.नं.-35/78, ब. नं.-119, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 02.635 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12091-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-ढीमरमेटा, प.ह.नं.-30, ब. नं.-114, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 06.613 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12092-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-गोहरगांव प.ह.नं.-31, ब. नं.-68, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 10.306 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, जिला छिन्दवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है..

क्र. 12093-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-हिवरा जयसिंग प.ह.नं.-41, ब. नं.-314,	रकबा 0.112 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12094-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-खापाबिहारी प.ह.नं.-31, ब. नं.-44, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 03.840 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12095-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, "भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-घोघरी हरहर, प.ह.नं.-33, ब. नं.-74, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 01.181 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12096-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-दिलावर मोहगांव, प.ह.नं.-34, ब. नं.-129, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12097-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉंद	नगर ग्राम-चाँद प.ह.नं.-24, ब. नं.-80, रा.नि.मं.-चाँद,	रकबा 08.458 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12098-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-चंदनगांव प.ह.नं.-35, ब. नं.-77, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 03.197 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12099-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-गुमगांव प.ह.नं.-31, ब. नं.-64, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 05.440 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13000-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-मोघर, प.ह.नं. 31, ब. नं.-236, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 04.298 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13001-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-बतरी प.ह.नं. 34, ब. नं.-187, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 04.655 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13002-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-तितरी, प.ह.नं. 35, ब. नं.-119, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 06.976 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13003-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-लालगांव प.ह.नं. 35, ब. नं.-257, रा.नि.मं.-चॉद,	रकबा 03.913 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 7 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि रकबा 18.003 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.349 है. कुल रकबा 22.352	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	निजी भूमि रकबा 25.220 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.535 है. कुल रकबा 26.755	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि रकबा 6.000 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.725 है. कुल रकबा 14.725	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	पड़रहा	निजी भूमि रकबा 12.936 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.383 है. कुल रकबा 16.319	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	मझगांय	निजी भूमि रकबा 36.525 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.138 कुल रकबा 38.663	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कगरे का बारा	निजी भूमि रकबा 16.978 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.598 कुल रकबा 19.576	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सिमराखुर्द	निजी भूमि रकबा 6.950 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.439 कुल रकबा 7.389	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बड़ीरूंध	निजी भूमि रकबा 2.804 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.225 कुल रकबा 18.029	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	माधौगंज	निजी भूमि रकबा 1.410 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 1.410.	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	किशनगढ़	निजी भूमि रकबा 21.089 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.663 कुल रकबा 23.752	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 सितम्बर 2017

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-16-17 पत्र क्र. 566-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	ढोढ़ी	0.144	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.	सी. आर. एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा, ढोढ़ी, किचवरिया, अकौना, खम्हरिया, गोरइया मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 45-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	सांखनी	1977	-0.021	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी	सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की सांखनी मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			2159	-0.013		
			2163	-0.022		
			योग :	0.056		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	खेड़ा	20	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी	सिंध परियोजना के तहत दोआब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			21	0.07		
			22/1	0.12		
			22/2			
			25/1	0.15		
			25/2	0.03		
			38	0.01		
			योग :	0.410		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्र. 6849-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-290-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—गोठानिया

(घ) क्षेत्रफल—4.269 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)
137/7	0.185
200	0.340
202, 204/2	0.185
204/4, 204/7	0.165
214	0.525
203	0.188
204/6	0.030
205	0.125
210	0.085
212/1	0.010
212/6	0.160
212/2	0.225
215	0.130
237	0.620
242/2	0.380
244	0.085
245	0.180
260/1	0.045
260/3	0.100
423/1	0.506
योग . .	4.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग, राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. 1573-भू-अर्जन- प्र. क्र.-02-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (1) में वर्णित भूमि के कॉलम (2) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की आवश्यकता हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भिटौनी के टैंक-ट्रक जबलपुर-शहपुरा मार्ग सड़क पर खड़े होते हैं जिससे आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. टैंक ट्रक पार्किंग के प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—भमकी, प.ह.नं. 53

(घ) रा.नि.मं.—शहपुरा

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 1.53 हे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
106/1	0.41
107	0.56
108	0.56
कुल योग . .	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है :— टेंक ट्रक पार्किंग हेतु भूमि का अर्जन.

(3) चूकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, अत: धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल ऑफिस जबलपुर अथवा डिपो प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भिटौनी, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.